

दक्षिण—ग्राम झुलप से बंजर घाटी आरक्षित वन खंड की दक्षिण सीमा जो कि बालाघाट जिला के ग्राम कालेगांव, मोहगांव, मलखेडी और खापा से होकर जाती है और फिर मुक्की वन ग्राम तक बंजर नदी से होकर जाती है और फिर भीसानघाट, आरक्षित वन खंड की दक्षिणी सीमा जब तक कि वह बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतर्जिला सीमा से मिलती है, और फिर बालाघाट जिले से छतरपुर वन ग्राम तक बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतर्जिला सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शार. सी. सक्सेना, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२४-१६४३-वस-२-७४.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसंरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ४०२३-१६४३-वस-२-७४, दिनांक ३ सितम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शार. सी. सक्सेना, उपसचिव,

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4023-1643-X-2-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972. (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area, specified in the Schedule below to be a game reserve:

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Sukhai sanctuary.

District	Balaghat and Mandla
Name of sanctuary	Malhal Game Reserve
Area	275.74 Sq. Kilo Meter

East—Starting near Chhatarpur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajmandgaon districts till it meets Jabalpur Bilaspur road, thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhimdongri in Balaghat district.

North—Starting from village Bhimdongri the western boundary of Raigarh East Reserved Forest block up to Hailon river, thereafter the western boundary of Kolkhapa Reserved Forest block until village Bhalapuri, then the northern and western boundaries of Raigarh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondla river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest Block up to Bhillwani forest village and thereafter the common boundary between Chouranga and Tendua Reserved Forest Blocks up to village Khatola and then the northern boundary of Tendua Reserved Forest block till it meets Surjan river near village Shahpur, then the northern boundary of Malidadar Reserved Forest block till it meets the boundary of Samaiya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north-east to south-west meeting the boundary of Malidadar Reserved Forest block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Malidadar Reserved Forest Block, till it meets the boundary of village Aroli, thereafter the western boundary of Malidadar Reserved Forest block running along village Kutwahi, Badachhapri, Solia, Khadiya Narangli till it meets Ghughar river, thereafter the western boundary of forest village Ludri till Baghar nala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhulup.

South—From village Jhulup the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kalgaoon, Mehgaon, Malkhedl and Khapa and then along Banjar river till forest village Mukki and thereafter the southern boundary of Bhaisinghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajmandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajmandgaon districts, up to forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of,
Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २८ सितम्बर 1974.

क्र. ४५१५-३६४२-वस-२-७४.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. १६, संन. 1927), की धारा ४ की उपधारा (१) के अधिनियमों की अधीन जारी की गई अधिसूचना क्र. ७०५१, दिनांक २३ दिसम्बर 1971 द्वारा राज्य शासन ने यह घोषणा की थी. उक्त अधिसूचना में उल्लिखित भूमियों को आरक्षित वन बनाने का निश्चय किया गया था और अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एस. जी. रोचलानी, की नियुक्ति की थी.

२. चूंकि श्री एस. जी. रोचलानी, स्थानांतरित हो गये हैं, अतएव उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित भूमियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एम. डी. शर्मा को नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शार. सी. सक्सेना, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर 1974.

क्र. ४५६६-३४०५-वस-२-७४.—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्र. ५३ संन. 1972), की धारा १८ के अधिनियमों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन सीधे परिशिष्ट के दक्षिण गंगे क्षेत्र को वन पथी तथा पशु के लिये अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—मंदसौर.

तहसील—मंगारा एवं भावपुरा.

वन खण्ड का नाम—रामपुरा मेन पठार.

अभयारण्य का नाम—गांधी सागर.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)—२२,४६५.००.

वर्ग किलोमीटर—२२४.६५.

सीमा

उत्तर—प्रकोष्ठ क्रमांक ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०५, ६०६, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१७, ७१६ व ७१७ की बाहरी सीमा जो कि मध्यप्रदेश की ऊपरी सीमा है तथा राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्यों की मध्य सीमा है.

पूर्व—प्रकोष्ठ क्रमांक ७२०, ७२१, ७२२, ८२०, ८१९ एवं ८१७ की बाहरी सीमा.

पृष्ठ 17

दीक्षा—प्रकोष्ठ क्रमांक ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३(ए), ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३(ए), ८३४, ८३५, ८३६, ८३७(ए), ८३८ की बाहरी सीमा जो गोंधी-तापर जलाशय के किनारे तक है. प्रकोष्ठ क्रमांक ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९ व ८४० की बाहरी सीमा.

परिचय—प्रकोष्ठ क्रमांक ५६६, ५६७, ६२६, ६२७ व ६३२ की बाहरी सीमा.

मध्य प्रदेश के राजपत्रांक के नाम से तथा आदेशानुसार, बार. सी. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४.

क्र. ४६००-३४०५-दश-२-७४.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के भाग (३) के अन्तर्गत में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ४५६६-३४०५-दश-२-७४, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४ का संशुद्धि अन्वय राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राजपत्रांक के नाम से तथा आदेशानुसार, बार. सी. सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4600-3405-X(2)-74.—In exercise of powers conferred by Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declare the land specified in Schedule below as "Game Sanctuary" for the Birds and animals in the said sanctuary:—

SCHEDULE

District—Mandlaour.
Tahsil—Manasa & Bhaopeta.
Name of Forest Block—Rampura Man Pathar.
Name of Game Sanctuary—Candhisagar.
Area in Hect.—11,465.00.
Area in Sq. K.M.—22.06.

Details of Boundaries.

North—External Boundaries of Compartment No. 593, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 719 & 720 which forms northern boundary of Madhya Pradesh between Rajasthan and Madhya Pradesh.

West—External boundaries of compartment No. 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731 and 732.

South—External boundaries of Compartment No. 817, 818, 821, 822, 823 A, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

West—External boundaries of Compartment No. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

गृह विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 1974.

क्र. एक-3-73-74-2-ए(3)—विक्रय कर विभाग के पदाधिकारियों के लिये शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा को दिनांक 24 जून 1974 को "विधि तथा प्रक्रिया" विषय में संपन्न हुई थी उसमें निर्धारित पदाधिकारी उत्तीर्ण हुए हैं:—

उच्च वर्ग
इंदौर संभाग

1. श्री श्रीराम नरसिंहराव, विक्रय कर अधिकारी
2. श्री जननाथ प्रसाद नामदेव, विक्रय कर अधिकारी

3. श्री के. जी. शारदा, सहायक विक्रय कर अधिकारी
4. श्री जी. जी. पंत, सहायक विक्रय कर अधिकारी
5. श्री रमेश शार. इंदौर, विक्रय कर अधिकारी

भोपाल संभाग

6. श्री आनंद शार. धाम, विक्रय कर अधिकारी
7. श्री रामशंकर गुप्ता, विक्रय कर अधिकारी
8. श्री टी. पी. राव, विक्रय कर अधिकारी

बिलासपुर संभाग

9. श्री एम. एन. अग्रवाल, विक्रय कर अधिकारी
10. श्री सी. के. रामलोकेश, विक्रय कर निरीक्षक
11. श्री पी. एन. मंडवणे, विक्रय कर निरीक्षक

निम्न वर्ग

इंदौर संभाग

1. श्री नरेंद्र कुंभार सिंह, सहायक विक्रय कर अधिकारी
2. श्री जे. टी. शिवधर, सहायक विक्रय कर अधिकारी
3. श्री रामनाथ भांगे, सहायक विक्रय कर अधिकारी
4. श्री के. पी. दासरी, सहायक विक्रय कर अधिकारी
5. श्री देवनाथ प्रसाद रायत, सहायक विक्रय कर अधिकारी
6. श्री के. एम. जैन, सहायक विक्रय कर अधिकारी

जबलपुर संभाग

7. श्री पी. के. श्रीवास्तव, विक्रय कर निरीक्षक
8. श्री जे. पी. नवारिया, विक्रय कर निरीक्षक

रायपुर संभाग

9. श्री बी. पी. श्रीवास्तव, विक्रय कर निरीक्षक
10. श्री एन. बी. सिद्दीक, विक्रय कर निरीक्षक

क्र. एफ-3-80-74-2-ए(3)—पर्यवेक्षण विभाग के पदाधिकारियों के लिये शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जून 1974 को "लेखा" विषय में संपन्न हुई थी उसमें निर्धारित पदाधिकारी उत्तीर्ण हुए हैं:—

उच्च वर्ग

1. श्री एम. नरेश, मुख्य अधिकारी
2. श्री श्री. शार. गुप्ता, सहायक महायंत्रणा अधिकारी

मध्य प्रदेश के राजपत्रांक के नाम से

Bhopal, the 27th January 1983

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 1983

No. 18-1-83-X-2.—The words 'And Unclassed Forest' appearing in the column (4) against serial number 5 of this department notification No. 18-3-77-X-(2), dated the 22nd May 1982 are hereby deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 1983]

क्र. 15-2-83-दस-2.—मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. 4599-3405-दस-दी-74, दिनांक 3 अक्टूबर 1974 द्वारा "मध्य-प्रदेश राजपत्र" के दिनांक 1 नवम्बर 1974 में अधिसूचित की गई, गांधी सागर अभयारण्य सीमाओं को संशोधित कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को मध्यप्रदेश शासन गांधी सागर अभयारण्य घोषित करता है :—

परिशिष्ट

जिल्ला.—मन्दासौर

तहसील.—मनासा एवं भानपुरा

वन-खण्ड का नाम.—रामपुरा, मैन पठार

अभयारण्य का नाम.—गांधी सागर

क्षेत्रफल.—368.62 वर्ग कि. मी.

सीमा

उत्तर.—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा.

पूर्व.—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा.

दक्षिण: क्रमांक 1052, 1051 की पूर्वी सीमा, प्रकोष्ठ क्रमांक 1051, 1050, 1058, 1084, 1082 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1082 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 1080, 1070 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1068 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 1066, 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 935, 936 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 936 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 936 की उत्तरी सीमा, प्र. क्र. 941 की उत्तर पश्चिमी नोक, प्र. क्र. 942, 940, 944 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 984, 985 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 945 की पूर्वी सीमा एवं दक्षिणी सीमा जो भुज ग्राम की उत्तरी सीमा है. प्र. क्र. 955 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 954 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 958, 960, 969, 877, 876 की दक्षिणी सीमा.

पश्चिम—एडवा नदी का जो प्रकोष्ठ क्रमांक 874, 875 एवं 876 की पश्चिमी सीमा बनाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. बी. लाल, उपसचिव.

क्र. 15-2-83-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-2-83-दस-2, दिनांक 28 फरवरी 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th February 1983

No. 15-2-83-X-2.—Gandhi Sagar Sanctuary was notified by Notification No. 4599-3405-X-2-74, dated the 3rd October 1974 published in "Madhya Pradesh Gazette", dated the 1st November, 1974 and the said boundaries are hereby modified and under the powers vested under section 18(1) of the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the area shown in the Schedule given below hereby declared as Gandhi Sagar Sanctuary :—

SCHEDULE

District—Mandsaur

Tehsil—Manasa, Bhanpura

Name of Forest Block—Rampura, Main-pathar

Name of the Sanctuary—Gandhi Sagar.

Area—368.62 Sq. K.M.

Boundaries

North—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

East—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

South—Eastern boundary of Comptt. No. 1052, 1051 Southern boundary Comptt. No. 1051, 1050, 1058, 1084, 1082, Western boundary of Comptt. No. 1082, Southern boundary of Comptt. No. 1080, 1070, Eastern boundary of Comptt. No. 1068, Southern boundary of Comptt. No. 1066, 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988, Eastern boundary of Comptt. No. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935, Southern boundary of Comptt. No. 935, 936, Western boundary of Comptt. No. 936, Northern boundary of Comptt.